State Vigilance Bureau, Gurgaon Range, Gurgaon

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्श 2013 प्र.सू.रि.स 2 दिनांक 17. 01.2013

2.अधिनियम पी0सी0 एक्ट धाराएं 7 पी0सी0 एक्ट

3.(क) घटना का दिन वीरवार दिनांक दिनांक 17.01.2013

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 17.01.13 समय 5.35 पी0एम0

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविश्टि संख्या) 9 समय 5.40 पी0एम0

4.(सूचना कैसे प्राप्त हुई) (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थन का ब्यौरा (क) (थाने से दिषा एंव दूरी) जानिब–पूर्व 4½5 किलो मीटर

(ख) पता :

6. (षिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :–

(क) नाम : श्री अजीत सिंह

(ख) (पिता/पति का नाम) श्री हरिचन्द्र

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राश्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) खेतीबाडी (पता) निवासी गांव बसई जिला गुडगांव।

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. सतबीर सिंह ए0एस0आई0 गुडगांव।

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी श्रीमति सत्यावती, उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ग्यूरो गुडगांव बदस्त ई0एच0सी0 रामानन्द न0 2414/फरीदाबाद बराये करने दर्ज मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई जिसका विशय इस प्रकार से है। सेवा में श्रीमान एस0पी0 साहब विजिलैंस गुडगांव निवेदन है कि मै अजीत सिंह पुत्र श्री हरिचन्द्र जाति जाट गांव बसई जिला गुडगांव का रहने वाला हूॅ और खेतीबाडी का काम करता हॅ । मै वा मेरा भाई सुरेन्द्र कुमार एक साथ रहते है। हमारा बिजली का मीटर मेरे भाई के लडके जोना के नाम लगा हुआ है। व दूसरा मीटर मेरे भाई भूप सिंह के नाम है। आज सुबह बिजली बोर्ड की विजिलैंस की टीम

जिसमें दो बिजली कर्मचारी व दो पुलिस कर्मचारी थे। हमारे घर के साथ बिजली डोरी पडी हुई थी। जिसकी बिजली वालों की टीम ने उस डोरी की फोटो खींच कर ले गये और मेरे पिताजी को कहा कि सै0 31 वाले बिजली आर्फिस में आ जाना वहीं बात करेगें मै अपने घर के कामों की देखभल व लेन–देन करता हूॅ मै बिजली दफ्तर पहुचां वहां पर उस टीम का सदस्य सतबीर सिंह ए0एस0आई0 मिला जिसने कहा कि मै आपके बिजली वाले मामले को 1,00,000 रूप्ये में समझौता करवा दूगां फिर मैने कहा कि मै गरीब आदमी हूॅ कुछ कम कर दो तो उसने कहा कि 80,000 हजार रूप्ये हो सकते है। उस समय मेरे पास 30,000 हजार रूप्ये ही थे जो सतबीर ए0एस0आई0 ने मेरे स`ले लिये जिनकी कोई रषीद नही दी। फिर उसने कहा कि 20,000 रूप्ये आज षाम तक ले आना तेरे उपर कोई केस नही बनने दूगां रषीद से तुझे क्या लेना देना, तेरा काम हो जायेगा। मै रिष्वत नही देना चाहता औश्र बिना रिष्वत लिये वह मेरा काम नही करेगा। मेरी उससे कोई रंजिष नही है। इसके खिलाफ कार्यवाही की जावें। हस्ताः हिन्दी अजीत सिंह पुत्र हरिचन्द्र जाट गांव बसई । कार्यवाही पुलिस – आज मन डी0एस0पी0 मय स्टाफ एस0आई0 राम सिंह, ए0एस0आई, सुरेन्द्र सिंह, ए0एस0आईद्ध जलधीर सिंह, ए0एस0आई0 श्रवण कुमार, ई0एच0सी0 रामानन्द 2414/फरीदाबाद, सिपाही योगेष कुमार न0 2809/गुडगांव के हाजिर कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव हूॅ कि अजीत सिंह पुत्र हरिचन्द्र निवासी बसई में हाजिर कार्यालय आकर एक दरखास्त लिखित मन डी0एस0पी0 को पेष की जो दरखास्त के मजबून से सुरत जुर्म 7 पी0सी0 एक्ट का होना पाया जाने पर हालात अफसरान बाला को अतलाये जाकर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त ई0एच0सी0 रामानन्द न0 2414/फरीदाबाद के अरसाल थाना है बाद कायमी मुकदमा नम्बर पर्चा से सूचित करें। स्पैषल रिपोर्ट बजरिया स्पैषल मैसेन्जर सम्बन्धित अफसरान को भिजवाई जावें। मन डी0एस0पी0 ने उपरोक्त मुलाजमान की रैडिंग पार्टी तैयार करके तफतीषी बैग हमराह लेकर मय मुदई, रैडिंग पार्टी गाडी सरकारी सूमो नम्बर एच0आर0 55–जे0 9999 ड्राईवर सिं0 धर्मबीर सिंह न0 2358/फरीदाबाद के रवाना कैम्प कार्यालय गुडगांव की होती हूॅ। हस्ताः अग्रेजी सत्या, डी0एस0पी0 राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगंव दिनांक 17.01.2013 समय 5.30 पी0एम0 अज कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगंव। अजथाना :– आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बाजुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया प्रथम सूचना रिपोर्ट की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई जो सेवा में अफसरानबाला भेजी जायेगी। एक पर्त प्रथम सूचना रिपोर्ट बतौर स्पैषल रिपोर्ट सेंवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब, गुडगांव बजरिया आरिन्दा ई0एच0सी0 रामानन्द न0 2414/फरीदाबाद भेजी जा रही है। असल मिषल पुलिस मय आमदा तहरीर भी मौका पर पहुचाने हेतु इसी आरिन्दा ई0एच0सी0 के हवाले की गई।

हस्ता अग्रेंजी/– जगत सिंह
थाना प्रभारी का नाम

नाम : जगत सिंह
पद : निरीक्षक
सख्यां :
दिनांक 17.01.13 समय 7.25 पी0एम0